केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110 001

फोनः 23353503 फैक्सः 23753923

याचिका सं. 139/टीएल/2023 — दिनांकः 6.7.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार पर (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना – XXVIII (डब्ल्यूआरईएस-XXVIII) एवं XXIX (डब्ल्यूआरईएस-XXIX) की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क. पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना – XXVIII (डब्ल्यूआरईएस–XXVIII) :

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से माह में अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	वे घटक (घटकों) जो संबंधित घटक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) की घोषणा के लिए पूर्वापेक्षित हैं।
1.	आईसीटी बे (220 केवी–जीआईएस) सहित 400/220 केवी आईसीटी, 2x500 एमवीए की स्थापना सहित 765/400 केवी रायपुर पूल एस/एस में 220 केवी स्तर (जीआईएस) का सृजन • 500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटीः 2 नं. • 400 केवी आईसीटी बेः 2 नं. • 220 केवी आईसीटी बेः 2 नं. (जीआईएस)	18 माह	क्र.सं. i एवं ii में चिन्हित घटकों को साथ साथ आरंभ करना अपेक्षित है चूंकि उनका उपयोग अन्य प्रत्येक के आरंभ करने पर निर्भर है।
2.	रायपुर पूल की समाप्ति के लिए रायपुल पूल एस/एस में 2 नं 220 केवी लाइन बे (जीआईएस) – राजनंदगांव 220 केवी डी/सी लाइन • 220 केवी लाइन बेः 2 नं. (जीआईएस)		
3.	संबद्ध आईसीटी बे (220 केवी–जीआईएस) सहित रायपुर पूल एस/एस में 400/220 केवी आईसीटी, 1x500 एमवीए की वृद्धि • 500 एमवीए, 400/220केवी आईसीटीः 1 नं. • 400 केवी आईसीटी बेः 1 नं. • 220 केवी आईसीटी बेः 1 नं. (जीआईएस)	दिसंबर 2024	क्र.सं. iii एवं iv में चिन्हित घटकों को साथ साथ आरंभ करना अपेक्षित है चूंकि उनका उपयोग अन्य प्रत्येक के आरंभ करने पर निर्भर है।
4.	सीएसपीटीसीएल द्वारा नियोजित विभिन्न लाइनों की समाप्ति के लिए रायपुर पूल एस/एस में 6 नं. 220 केवी लाइन बे (जीआईएस)* • 220kV लाइन बेः 6 नं. (जीआईएस)		

नोटः

(I) रायपुर (पूल) 765/400 केवी सबस्टेशन पर कार्य के उक्त क्षेत्र के कार्यान्वयन के लिए पावरग्रिड को स्पेस उपलब्ध करवाना।

(II) अंतःराज्यिक योजना के रूप में सीएसपीटीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना से संबद्ध डाउनस्ट्रीम प्रणालीः

- रायपुर पूल – राजनंदगांव 220 केवी डी/सी लाइन
- *रायपुर पूल – गेंदपुर 220 केवी डी/सी लाइन
- *रायपुर पूल – बेमेतरा 220 केवी डी/सी लाइन
- *बोझारा का लीलो – रायपुर में उरला 220 केवी एस/सी लाइन

ख. पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना – XXIX (डब्ल्यूआरईएस–XXIX):

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से माह में अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	वे घटक (घटकों) जो संबंधित घटक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) की घोषणा के लिए पूर्वापेक्षित हैं।
1.	765/400 केवी धरमजयगढ़ एस/एस में 2x500 एमवीए की स्थापना के साथ 220 केवी स्तर, आईसीटी बे से संबद्ध 400/220 केवी आईसीटी का निर्माण • 500एमवीए, 400/220 केवी आईसीटीः 2 नं. • 400 केवी आईसीटी बेः 2 नं. • 220 केवी आईसीटी बेः 2 नं. (जीआईएस)	मार्च 2025	क्र.सं. i एवं ii में चिन्हित घटकों को साथ साथ आरंभ करना अपेक्षित है चूंकि उनका उपयोग अन्य प्रत्येक के आरंभ करने पर निर्भर है।
2.	धरमजयगढ में (धरमजयगढ़–छुरी 220 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति) 2 नं. 220 केवी लाइन बे • 220 केवी लाइन बेः 2 नं. (जीआईएस)		
3.	धरमजयगढ में (धरमजयगढ़–धरमजयगढ 220 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति) 2 नं. 220 केवी लाइन बे • 220 केवी लाइन बेः 2 नं. (जीआईएस)	मार्च 2025	क्र.सं. i में चिन्हित घटकों को क्र. सं. iii के घटकों से पूर्व आरंभ करना अपेक्षित है।

नोटः

(i) धरमजयगढ़ 765/400 केवी सबस्टेशन पर कार्य के उक्त क्षेत्र के कार्यान्वयन के लिए पावरग्रिड को स्पेस उपलब्ध करवाना।

(ii) अंतःराज्यिक योजना के रूप में सीएसपीटीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना से संबद्ध डाउनस्ट्रीम प्रणालीः

- धरमजयगढ़–छुरी 220 केवी डी/सी लाइन
- धरमजयगढ़–धरमजयगढ सीएसपी 220 केवी डी/सी लाइन

2. आवेदक का चयन, अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 286.90 मिलियन प्रतिवर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों सहित पारेषण सेवा प्रदायक के रूप में किया गया है।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 26.4.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं.139/टीएल/2023 में दिनांक 5.7.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।
5. धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड को (अब पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 19.7.2023 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा दिनांक 21.7.2023 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–

(हरप्रीत सिंह पुथी)

सचिव